

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI - 110002

No.F.14(64)/ Power/VS/2021/ 3993

Dated: 30/12/2021

To

✓ The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi - 110054

Sub: Un-Starred Question No.145

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.145 for 04.12.2021 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above


30/12/2021

(R.S.Samria)

Dy. Director (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या-145


दिनांक :- 04.12.2021

प्रश्नकर्ता श्री प्रवीण कुमार

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा जंगपुरा विधान सभा में कोई केबल डालने के कार्य की कोई योजना चल रही है या भविष्य में कोई योजना है;	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने सूचित किया है कि मथुरा रोड पर आश्रम चौक के पास लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावित अंडरपास के निर्माण के कारण 220 के.वी. डी./सी. अंडरग्राउंड केबल को शिफ्ट करने का कार्य प्रगति पर है और 15.01.2022 तक कार्य पूरा होने की संभावना है।
ख)	यदि हां, तो उसमें कितना बजट पास किया गया और वह केबल कहां से कहां तक डाली जा रही है तथा क्या उसमें सभी मापदंडों का पालन किया जा रहा है, पूर्ण विवरण दें; और	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने सूचित किया है कि कुल 4.72 करोड़ रुपये (आपूर्ति +सेवा+एफ & आई+जीएसटी हेतु) पास किये गए हैं। केबल की लम्बाई 250 मीटर है जोकि नव प्रस्तावित Joint Bay No-05A (near Ashram Metro Gate No.02) to Existing Joint Bay No-06 (near Ashram Metro Gate No-01) तक एन.आई.टी. के सभी मापदंडों का पालन करते हुए किया जा रहा है।
ग)	यदि किसी अधिकारी के कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है?	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने सूचित किया है कि यदि किसी अधिकारी के कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।


30/12/2021

(आर.एस.सामरिया)

उप-निदेशक (ऊर्जा)

R. S. SAMRIA
Dy. Director
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi